शिक्षा का अधिकार - मुख्य प्रावधान

- 6-14 वय वर्ग के प्रत्येक बच्चे को अपने पड़ोसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार।
- विद्यालय से बाहर रह गए 6-14 वय वर्ग के बच्चों को अपनी आयु के अनुरूप सीधे उपयुक्त कक्षा में प्रवेश पाने का अधिकार।
- विद्यालय से बाहर रह गये 6-14 वय वर्ग के बच्चों को अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश पाने हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार।
- बच्चों के प्रवेश हेतु बच्चे अथवा उसके माता-पिता/संरक्षक की स्क्रीनिंग/अनुवीक्षण प्रक्रिया पर प्रतिबन्ध, उल्लंघन पर पहली बार Rs. 25000=00 तक का दण्ड तथा तत्पश्चात प्रत्येक उल्लंघन के लिए Rs. 50000=00 तक का दण्ड।
- विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली कैपिटेशन शुल्क पर प्रतिबन्ध, उल्लंघन पर प्रभारित कैपिटेशन शुल्क के दस गुना तक दण्ड का प्रावधान।
- बच्चों को आयु के प्रमाण के अभाव में प्रवेश से इंकार करने पर प्रतिबन्ध।
- बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ पर या विहित की गयी विस्तारित अवधि के अन्तर्गत प्रवेश पाने का अधिकार, साथ ही विस्तारित अवधि के पश्चात प्रविष्ट किए गए बच्चों को भी अपना अध्ययन पूर्ण करने का अधिकार।
- बच्चों के शारीरिक दण्ड अथवा मानसिक उत्पीड़न पर प्रतिबन्ध, उल्लंघन करने पर लागू सेवा नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही।
- बिना मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए विद्यालयों की स्थापना पर प्रतिबन्ध, उल्लंघन पर Rs 1.00 लाख तक के दण्ड का प्रावधान, निरंतर उल्लंघन की दशा में प्रत्येक दिन के लिए Rs. 10000.00 तक के दण्ड का प्रावधान।
- अपवंचित तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को भी निजी विद्यालयों तथा विशिष्ट श्रेणी के विद्यालयों की प्रथम कक्षा अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित होने की दशा में सबसे छोटी कक्षा के कुल सीटों के 25 प्रतिशत सीमा तक की सीटों पर प्रवेश पाने का अधिकार।
- गैर शैक्षणिक (जनसंख्या गणना, आपदा राहत कार्यों तथा निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों के अतिरिक्त) प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित किये जाने पर प्रतिबन्ध।
- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने तक बोर्ड परीक्षाओं पर प्रतिबन्ध।
- उत्तराखण्ड राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु निर्गत समस्त अधिसूचनाएं एवं शासनादेश सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड की वेबसाइट http://www.ssa.uk.gov.in पर अपलोड किये गये हैं